मालीराम बनाम दुर्गा देवी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

मु० नं० -06/2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
21-5-18	राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार वर्ष-2018 श्रीमान संयुक्त शासन सचिव एवं राजस्व (ग्रुप-1) विभाग जयपुर के परिपत्र प.12 (15) [illegible] के पालना पर [illegible] दिशा निर्देशों को पालना में पत्रावली पुनः 27-4-18 को तलब होकर आज पेश हुई। उक्त दिशा [illegible] पालना में पत्रावली लोक अदालत में सुनवाई हेतु रखी जानी है। अतः लोक अदालत/कैम्प कोर्ट स्थल अटल सेवा केन्द्र आगरियावाली में दिनांक 6-6-18 को पत्रावली पेश हो। उक्त निर्धारित दिनांक एवं स्थल पर उपस्थित [illegible] हेतु उपस्थित पक्षकारान को नोटिस जारी हो।
6-6-18	प्रकरण लोक अदालत/कैम्प कोर्ट [illegible] आगरियावाली [illegible] अनुपस्थित। [illegible] पक्षकारान के [illegible] व मेलजोल के प्रयास किये गये। मेलजोल के प्रयासों के बावजूद भी प्रकरण में पक्षकारान के मध्य राजीनामा नहीं हो सका। अतः पत्रावली पूर्व नियत दिनांक 20-7-18 को पेश हो।
20-7-18	इकजाई तारीख पेशी देने पर आज पत्रावली पेश हुई। वकुलाव फरिकेन उपस्थित/पीठा. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मोटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 30-7-18 को पेश हो।
30-7-18	पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में वकील प्रार्थी व पक्षकारान को कोर्ट समाप्ति तक रुक-रुक कर बार-बार आवाज दिलवाई गई। वकील प्रार्थी व पक्षकारान में से कोई हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः वकील प्रार्थी व पक्षकारान की अनुपस्थिति में प्रार्थिक पक्ष अदम पैरवी निजेधाज्ञा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर कार वकमील दाखिल दफ्तर हो।

(हुक्म लाल जाट)
RAS